न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी सुश्री श्वेता कोचर, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
31/2019	दावा 88, 92ए, 53 RTA	23.04.2019	26.08.2019

1. सागर पुत्र हीराराम जाति मेघवाल
2. सुल्तान पुत्र हीराराम जाति मेघवाल
3. बृजलाल पुत्र हीराराम जाति मेघवाल

} निवासीगण दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

बनाम

1. रामेश्वर
2. जिसुख

} पुत्रगण सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

3. दयाचन्द
4. सुगनी
5. सन्तोष
6. सजना

} पुत्र–पुत्रियां जगुराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

7. रामचन्द्र
8. ओमप्रकाश

} पुत्रगण पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

9. बनवारी उर्फ शिशपाल
10. श्रीचन्द
11. (डिलीट) हरिसिंह

} पुत्रगण नन्दराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

12. रेशमा पुत्री नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. भतेरी पत्नी नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह0 व जिला चूरू (राज.)
14. मीरा पुत्री हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. स्व. रूघाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह. व जिला चूरू

15/1 रामनिवास पुत्र रूघाराम दत्तकपुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल हाल निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

15/2 महावीर पुत्र रूघाराम
15/3 सहलाराम पुत्र रूघाराम
15/4 सार्दुलराम पुत्र रूघाराम
15/5 भागी पत्नी स्व. रूघाराम

} जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

16. द्वारकाप्रसाद
17. रामकुमार

} पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

18. दीपचन्द पुत्र
19. भंवरसिंह पुत्र
20. किस्तुरी पत्नी
21. विमला पुत्री
22. सुरजी पुत्री

} पुत्र–पुत्रियां बचनाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

24. बनारसी
25. रतना

} पुत्रियां पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

26. सन्तोष } पुत्रियां पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा

उपखण्ड अधिकारी

27. शारदा तहसील व जिला चूरू (राज.) –प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री रामप्रसाद वादीगण
2. अधिवक्ता श्री ताहिर खान प्रतिवादी सं. 1 से 21

निर्णय

वादीगण की ओर से दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 22 एक ही परिवार के व्यक्ति हैं जो ग्राम दूधवा खारा के निवासी हैं परिवार का वंश वंशावली निम्न प्रकार से है:– दलूराम (फौत) के वारिसान में सुरजाराम, हीराराम, पूर्णाराम व जगुराम पुत्र हुए जिनका स्वर्गवास हो चुका है। स्व. सुरजाराम के वारिसान में रामेश्वर, जिसुख पुत्र मौजूद हैं। स्व. हीराराम के वारिसान में सागर, सुलतान, बृजलाल पुत्र मौजूद हैं। स्व. पूर्णाराम के वारिसान में नन्दराम पुत्र (फौत), रामचन्द्र पुत्र मौजूद, ओमप्रकाश पुत्र मौजूद हैं। स्व. पूर्णाराम के फौत पुत्र नन्दराम के वारिसान में बनवारी, श्रीचन्द, हरिसिंह, रेशमा पुत्र–पुत्री व भतेरी पत्नी मौजूद हैं। स्व. जगुराम के वारिसान में दयाचन्द पुत्र, सुगना पुत्री, सजना पुत्री, सन्तोष पुत्री मौजूद हैं। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण के पूर्वजों के जीवनकाल से संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्तकारी की कृषि भूमि ख.नं. 970 रकबा 22 बीघा 3 विश्वा व ख.नं. 119, 120, 121, 122 रकबा क्रमशः 7.04, 8.00, 8.02, 7.04 बीघा कुल 30 बीघा 10 विश्वा रोही दूधवा खारा एवं ख.नं. 100, 101, 116, 117 व 245 तादादी क्रमशः 1.02, 10.00, 20.16, 0.17 व 10.18 बीघा कुल तादादी 43 बीघा 13 विश्वा रोही मौजा सिरसली में स्थित हैं। खसरा नम्बर 119, 120, 121, 122 कुल तादादी 30.10 बीघा रोही दूधवा खारा में 1/2 हिस्सा (15.05 बीघा) कृषि भूमि दलूराम के वारिसान के बराबर बराबर व 1/2 हिस्सा (15.05 बीघा) मोटाराम के वारिसान स्व. भगवानाराम व जैसाराम का आधा आधा बंटवारे विभाजनानुसार कब्जा काश्त में स्थित है। शेष उक्त खसरान में दलूराम के चारों पुत्रों सुरजाराम, हीराराम, पूर्णाराम व जगुराम प्रत्येक के पृथक् पृथक् 1/4 हिस्सा बराबर बराबर कब्जा काश्त खातेदारी में होने से अपने अपने हिस्से में उनके वारिसान वादीगण प्रतिवादीगण सं. 1 ता 14 के कब्जे काश्त पारिवारिक बंटवारे अनुसार करते चले आ रहे हैं।

यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 के मध्य पारिवारिक मौखिक विभाजन बंटवारेनुसार वादीगण के दादा दलूराम की फौतगी के पश्चात् उनकी पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 970 रकबा 22.03 बीघा रोही दूधवा खारा, ख.नं. 100, 101, 116, 117 व 245 रकबा 43.13 बीघा रोही मौजा सिरसली व ख.नं. 119, 120, 121, 122 कुल 30 बीघा 10 विश्वा रोही दूधवा खारा में से 1/2 हिस्सा (15.05 बीघा) कुल हिस्सा उक्त समस्त खसरान की कुल तादादी 81.01 बीघा कृषि भूमि में से स्व. दलूराम के चारों पुत्रों व हिस्सा 1/4 प्रत्येक को बराबर बराबर संयुक्त रूप से विभाजित हो गई। स्व. हीराराम के 1/4 हिस्से (20.05 बीघा) में उनके पुत्र वादीगण सं. 1 ता 3 के बराबर बराबर कब्जा काश्त रोही दूधवा खारा व सिरसली में पारिवारिक बंटवारेनुसार कब्जा काश्त खातेदारी में स्थित है। प्रतिवादिनी सं. 14 वादीगण की बहिन है जो वादीगण के पक्ष में हिस्सा छोड़ दिया गया है। स्व. सुरजाराम के 1/4 हिस्से (20.05 बीघा) में उनके पुत्र प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

सं. 1 व 2 का कब्जा काश्त बंटवारेनुसार रोही सिरसली में स्थित है। स्व. जगुराम के 1/4 हिस्से (20.05 बीघा) में उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 3 से 6 बंटवारेनुसार रोही सिरसली के काश्तकार स्थित है। स्व. पूर्णाराम के 1/4 हिस्से (20.05 बीघा) में उनके पुत्र प्रतिवादी सं. 7 व 8 व नन्दराम के हिस्से पर उनके वारिसान प्रतिवादी सं. 9 से 13 बराबर बराबर काश्तकार रोही दूधवा खारा व सिरसली में स्थित हैं। यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त पैतृक कृषि भूमि माफिक पारिवारिक समझौते के बंटवारानुसार ख.नं. 122 रकबा 7 बीघा 4 विश्वा रोही दूधवा खारा में वादी सं. 2 का कब्जा काश्त विभाजनानुसार है। ख.नं. 970 रकबा 22.03 बीघा रोही दूधवा खारा में से आधे हिस्से में दक्षिण तरफ में दक्षिण–पश्चिम दिशा में 5.11 बीघा वादी सं. 1 व दक्षिणी–पूर्वी दिशा में 5.11 बीघा वादी सं. 3 बंटवारानुसार कब्जा काश्तकार है व शेष 2 बीघा कृषि भूमि वादी सं. 1 व 3 का कब्जा काश्त बंटवारेनुसार रोही सिरसली के उक्त खसरान में स्थित है। प्रतिवादिनी सं. 14 वादीगण की सगी बहिन है ने रोही सिरसली के उक्त खसरान में 1/16 हिस्सा हक का वादीगण अपने भाईयों के पक्ष में त्याग कर दिया जो वादीगण के कब्जे काश्त में स्थित है। तद्नुसार वादीगण के कब्जे काश्त विभाजनानुसार विभाजित किया जाना न्यायोचित है।

यह कि ख.नं. 119, 120, 121, 122 रकबा क्रमशः 7.04, 8.00, 8.02, 7.04 बीघा कुल तादादी 30 बीघा 10 विश्वा रोही दूधवा खारा में से 1/2 हिस्सा (15.05 बीघा) में स्व. दलूराम के चारों पुत्र स्व. हीराराम, सुरजाराम, जगुराम व पूर्णाराम के बराबर बराबर स्थित होने से वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के कब्जे काश्त खातेदारी में है। स्व. मोटाराम के 1/2 हिस्से (15.05 बीघा) में से उनके पुत्रों भगवानाराम व जैसाराम के आधी आधी माफिक बंटवारानामानुसार कब्जा काश्त है जो स्व. जैसाराम ने अपने हिस्से को कई वर्ष पूर्व विधिवत विभाजित करा कर ख.नं. 121 तादादी 8.02 बीघा को पृथक कर लिया रिकार्डेड खातेदार उनके वारिसान हैं। शेष आधा हिस्सा स्व. भगवानाराम के फौतगी के पश्चात् उनके वारिसान प्रतिवादीगण सं. 15 से 17 प्रत्येक के 1/10 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 18 से 22 के प्रत्येक के 1/40 हिस्सा गलत रूप से खातेदारी में जैसाराम के विभाजित होने के पश्चात् है। स्व. भगवानाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 15 से 22 के 7.03 बीघा राजस्व रिकार्ड में बंटवारेनुसार आती है। प्रतिवादी सं. 15 से 22 का उक्त गलत हिस्सा को शुद्ध दुरुस्त राजस्व रिकार्ड में मात्र 7.03 बीघा कृषि भूमि का अंकन किया जाना न्यायोचित है। प्रतिवादीगण सं. 15 से 22 के गलत हिस्से इन्द्राज को हटया जाकर वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 से 13 के पिता 1/4 हिस्से अनुसार रिकार्डेड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर पारिवारिक बंटवारेनुसार रिकार्ड में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण सं. 1 ता 22 को कई बार जुबानी तौर से कहा कि उक्त खसरान की कुल कृषि भूमि का अपने अपने हिस्से के मुताबिक आपसी बंटवारा कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करवा लेवें व खाता विभाजन करवा लें। दिनांक 15.03.2019 को प्रतिवादीगण ने साफ साफ मना कर दिया कि हम तो ऐसा आज करेंगे ना कल, तुम्हारी मर्जी आये वैसा करो इसलिए दिनांक 15.03.2019 से मुझ वादी को प्रतिवादीगण के विरुद्ध वाद कारण व वाद हैतुक व वादाधिकार प्राप्त हैं इसलिए वादीगण की ओर से यह दावा पेश किया जा रहा है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

यह कि वादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा दुधवा खारा व सिरसली में स्थित हैं जो ग्राम राजस्व न्यायालय चूरू तहसील जिला चूरू में स्थित होने से माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार हासिल हैं। यह कि दावा अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर पेश किया जा रहा है। यह कि अन्य तथ्य वर वक्त बहस अर्ज कर दिये जावेंगे।

अतः दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण के नीचे लिखे अनुसार अन्तिम रूप से डिकी फरमाया जावे:–

(क) यह कि दावा बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिकी किया जाकर घोषित किये जावे कि ख.नं. 119, 120, 122 कुल रकबा 22.08 बीघा रोही दूधवा खारा में से प्रतिवादी सं. 15 से 22 स्व. भगवानाराम के वारिसान के 7.03 बीघा कृषि भूमि को छोड़ कर शेष कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 15 से 22 का नाम हटाया जाकर वादीगण के दादा स्व. दलूराम के वारिसान के बराबर बराबर दर्ज की जाकर खातेदारी काश्तकारी वादीगण व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 13 को घोषित किया जावे।

(ख) यह कि दावा बहक वादीगण डिकी किया जाकर माफिक पारिवारिक बंटवारेनुसार ख.नं. 122 रकबा 7.04 बीघा रोही दूधवा खारा में वादी सं. 1 वा 3 व प्रविादीगण सं. 1 ता 22 का नाम हटाया जाकर वादी सं. 2 को विभाजनानुसार काश्तकार खातेदार व ख.नं. 970 रकबा 22.03 बीघा रोही दूधवा खारा में से आधे हिस्से में से वादी सं. 1 व 3 को बंटवारा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 5.11 बीघा व रोही सिरसली के उक्त खसरान में से 1 बीघा वादी सं. 1 को विभाजनानुसार खातेदार काश्तकार व दक्षिण–पूर्वी दिशा में 5.11 बीघा व रोही सिरसली के उक्त खसरान के रकबे में से एक बीघा वादी सं. 3 को विभाजनानुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त कर वादीगण का खाता विभाजन किया जावे।

(ग) यह कि अन्य अनुतोष जो हितकर वादीगण हो या हो जावे जो न्यायालय द्वारा दिलाया जाना न्यायोचित है वो भी वादीगण को दिलाया जावे।

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की जरिये सम्मन तलबी की गई जिस पर प्रतिवादी सं. 1 से 9 व 12 से 21 की ओर से श्री ताहिर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं अण्डरटेकिंग पेश की। कतिपय प्रतिवादी पक्षकार स्वयं भी उपस्थित हुए। पक्षकारों ने अवगत कराया कि प्रतिवादी सं. 11 हरिसिंह व प्रतिवादी सं. 22 सुरजी का स्वर्गवास हो चुका है जिस पर वकील वादीगण को इनके कायम मुकामान को पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया। आगामी तारीख पेशी पर वकील प्रतिवादी ने प्रतिवादी सं. 4 से 6, 10, 12, 20 से 22 की ओर से वकालतनामा पेश कर अवगत कराया कि प्रतिवादी सं. 15 का स्वर्गवास हो चुका है तथा प्रतिवादी सं. 22 सुरजी मौजूद है जिसका मैंने वकालतनामा आज पेश किया है। इसलिए पूर्व में इस बाबत किये गये अंकन को निरस्त फरमाया जावे। जिस पर उक्त अंकन को निरस्त किया गया। वकील वादी ने प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी का, प्रार्थी बनवारी उर्फ शिशपाल पुत्र नन्दराम ने प्रार्थना पत्र आदेश 23 नियम 4 ए व धारा 151 सीपीसी का एवं प्रार्थीगण शारदा व सन्तोष आदि की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी के पेश किये जिन पर वकील वादीगण व वकील प्रतिवादीगण ने

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

कोई आपत्ति नहीं होने का अंकन किया। तीनों प्रा0पत्रों पर पक्षकारान को सुना गया एवं प्रा0पत्रों का अवलोकन किया गया। प्रा0 पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी में प्रतिवादी सं. 15 रूघाराम जो बचपन में ही ग्राम कालियासर के मूंगाराम के गोद चला गया था, की मृत्यु की जानकारी दिनांक 21.06.2019 को होने से उसके जायज वारिसान को पक्षकार बनाने बाबत है। प्रा0पत्र आदेश नियम 4 ए व धारा 151 सीपीसी में प्रतिवादी सं. 11 हरिसिंह उर्फ हवासिंह पुत्र नन्दराम की मृत्यु हो चकी है जिसके कोई जीवित पुत्र, पुत्री, पत्नी व दत्तक पुत्र नहीं होने से उसके हिस्से की कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में नन्दराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 के नाम दर्ज हो जाने से दावा से प्रतिवादी सं. 11 का नाम डिलीट करवाने बाबत है। प्रा0 पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी जो प्रार्थिनी बनारसी, रतना, सन्तोष, शारदा पुत्रियां पूर्णाराम द्वारा वादगत कृषि भूमि की खातेदारी में नाम दर्ज होने से पक्षकार बनने हेतु पेश किया गया है। उक्त तीनों प्रा0पत्र उचित होने से स्वीकार किये गये। प्रतिवादी सं. 15 के कायम मुकामान को दावा में प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/4 के रूप में तथा प्रार्थीगण शारदा, सन्तोष आदि को प्रतिवादी सं. 24 से 27 के रूप में प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया। प्रतिवादी सं. 11 के जायज वारिसान दावा में पूर्व से ही प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 पक्षकार मौजूद होने से प्रतिवादी सं. 11 का नाम दावा से डिलीट करने का आदेश दिया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 14 व 16 से 22 की ओर से जवाबदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

प्रतिवादी सं. 1 ता 14 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 सही व सत्य लिखी होने से स्वीकार हैं। यह कि दावा की मद सं. 3 में अंकित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 14 जवाबदाता ने उक्त खसरान की कृषि भूमि को किस्मानुसार मौखिक बंटवारा वादीगण के दादा दलूराम ने अपने जीवनकाल में चारों पुत्रों सुरजाराम, हीराराम, पूर्णाराम व जगुराम को कर दिया था। राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारान को इन्साफ मिल सके। यह कि दावा की मद सं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। वादी सं. 1 व 3 की रोही सिरसली के उक्त खसरा में बंटवारानुसार कब्जा काश्त कृषि भूमि नहीं है। वादी सं. 1 व 3 की उक्त रोही सिरसली के एक एक बीघा कृषि भूमि हिस्से में आने के तथ्य गलत अंकित किये हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। वादीगण मात्र दूधवा खारा रोही के खेत खसरा नम्बर 970 व 122 में ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि दावा की मद सं. 5 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 16 से 22 खसरा नम्बर 119, 120, 122 रोही दूधवा खारा में 1/2 हिस्सा भगवानाराम के गलत अंकित हो गया, जो राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी सं. 15 बचपन में ही मूंगाराम के ग्राम कालियासर में गोद जाने से उसका कोई हिस्सा शेष नहीं है। प्रतिवादी सं. 16 से 22 खसरा नम्बर 120 तादादी 8.00 बीघा रोही दूधवा खारा की कृषि भूमि पर काबिज हैं जो प्रतिवादी सं. 15 से 22 भगवानाराम के वारिसान के कब्जे काश्त में है। मद सं. 5 में उक्त खसरा में 7 बीघा 3 विश्वा कृषि भूमि हिस्से में आने के तथ्य गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है परन्तु उक्त खसरा में प्रतिवादी सं. 15 से 22 भगवानाराम के वारिसान का 8 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दावा की मद सं. 6 स्वीकार है एवं मद सं. 7 व 8 कानूनी होने से स्वीकार की जाती है। दावा की मद सं. 9 का जवाब इस स्टेज पर देने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 1 से 14 ने विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी राजीनामा होने से लिखित बंटवारानामा राजीनामा अनुसार अपनी अपनी कृषि भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो विधिवत राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती कर खातेदार घोषित किया जावे। यह कि प्रतिवादिनी सं. 4, 5, 6 अपने हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 के हक में बराबर बराबर त्याग कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 14 ने वादीगण के हक में बराबर त्याग कर दिया, जिनका हिस्सा शेष नहीं है। यह कि प्रतिवादी सं. 8 ओमप्रकाश बचपन में ही अपने मामा मालाराम के ग्राम श्यामपुरा में गोद चला गया था। प्रतिवादी सं. 8 ने अपना हिस्सा आधा प्रतिवादी सं. 7 रामचन्द्र व आधा प्रतिवादी सं. 9, 10, 12 व 13 के हक में त्याग कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 7 की बहिन बनारसी, रतना, सन्तोष, शारदा ने भी अपना अपना आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 व आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 9, 10, 12 व 13 के हक में त्याग कर दिया है जो राजस्व रिकार्ड में बराबर बराबर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 11 हरिसिंह ला औलाद फौत होने से खातेदारी में नाम नहीं होने से हटने से डिलीट किया जा चुका है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मांगी गई अनुतोष क, ख, ग जवाबदावा की मदात के अस्वीकार तथ्यों को व मुताबिक राजीनामा दिनांक 28.06.2019 के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं होगा एवं दोनों पक्षकारान को इन्साफ मिलेगा।

प्रतिवादी सं. 16 ता 22 की ओर से प्रस्तुत जवाबदावा में अंकित किया कि दावा की मद सं. 1 व 2 सही व सत्य लिखी होने से स्वीकार हैं। यह कि दावा की मद सं. 3 में अंकित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार हैं। वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 14 जवाबदाता ने उक्त खसरान की कृषि भूमि को किस्मानुसार मौखिक बंटवारा वादीगण के दादा दलूराम ने अपने जीवनकाल में चारों पुत्रों सुरजाराम, हीराराम, पूर्णाराम व जगुराम को कर दिया था। राजीनामा के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाना न्यायोचित है ताकि पक्षकारान को इन्साफ मिल सके। यह कि दावा की मद सं. 4 आंशिक रूप से स्वीकार है। वादी सं. 1 व 3 की रोही सिरसली के उक्त खसरा में बंटवारानुसार कब्जा काश्त कृषि भूमि नहीं है। वादी सं. 1 व 3 की उक्त रोही सिरसली के एक एक बीघा कृषि भूमि हिस्से में आने के तथ्य गलत अंकित किये हैं जो अस्वीकार किये जाते हैं। वादीगण मात्र दूधवा खारा रोही के खेत खसरा नम्बर 970 व 122 में ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे हैं। यह कि दावा की मद सं. 5 आंशिक रूप से स्वीकार है। प्रतिवादी सं. 16 से 22 खसरा नम्बर 119, 120, 122 रोही दूधवा खारा में 1/2 हिस्सा भगवानाराम के गलत अंकित हो गया, जो राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जाना उचित है। प्रतिवादी सं. 15 बचपन में ही मूंगाराम के ग्राम कालियासर में गोद जाने से उसका कोई हिस्सा शेष नही है। प्रतिवादी सं. 16 से 22 खसरा नम्बर 120 तादादी 8.00 बीघा रोही दूधवा खारा की कृषि भूमि पर काबिज हैं जो प्रतिवादी सं. 15 से 22 भगवानाराम के वारिसान के कब्जे काश्त में है। मद सं. 5 में उक्त खसरा में 7 बीघा 3 विश्वा कृषि भूमि हिस्से में आने के तथ्य गलत अंकित किये जाने से अस्वीकार है परन्तु उक्त खसरा में प्रतिवादी सं. 15 से 22 भगवानाराम के वारिसान का 8 बीघा कृषि भूमि पर कब्जा काश्त चला आ रहा है। दावा की मद सं. 6 स्वीकार है एवं मद सं. 7 व 8 कानूनी होने से स्वीकार की जाती है। दावा की मद सं. 9 का जवाब इस स्टेज पर देने की आवश्यकता नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी,
चूरू

प्रतिवादी सं. 16 से 22 ने विशेष कथन में अंकित किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण की आपसी राजीनामा होने से लिखित बंटवारानामा राजीनामा अनुसार अपनी अपनी कृषि भूमि पर पूर्वजों के समय से कब्जा काश्त चला आ रहा है जो विधिवत राजस्व रिकार्ड में दुरुस्ती कर खातेदार घोषित किया जावे। यह कि प्रतिवादिनी सं. 4, 5, 6 अपने हिस्से की कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 3 के हक में बराबर बराबर त्याग कर दिया एवं प्रतिवादी सं. 14 ने वादीगण के हक में बराबर त्याग कर दिया, जिनका हिस्सा शेष नहीं है। यह कि प्रतिवादी सं. 8 ओमप्रकाश बचपन में ही अपने मामा मालाराम के ग्राम श्यामपुरा में गोद चला गया था। प्रतिवादी सं. 8 ने अपना हिस्सा आधा प्रतिवादी सं. 7 रामचन्द्र व आधा प्रतिवादी सं. 9, 10, 12 व 13 के हक में त्याग कर दिया है। राजस्व रिकार्ड में तद्नुसार दर्ज किया जावे एवं प्रतिवादी संख्या 7 की बहिन बनारसी, रतना, सन्तोष, शारदा ने भी अपना अपना आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 व आधा हिस्सा प्रतिवादी सं. 9, 10, 12 व 13 के हक में त्याग कर दिया है जो राजस्व रिकार्ड में बराबर बराबर दर्ज किया जावे। प्रतिवादी संख्या 11 हरिसिंह ला औलाद फौत होने से खातेदारी में नाम नहीं होने से हटने से डिलीट किया जा चुका है। यह कि प्रतिवादी संख्या 15 अपने पिता के जीवनकाल में बचपन में ही गोद चला गया था, जो उक्त कृषि भूमि में कोई भी कब्जा काश्त नहीं रही है व प्रतिवादी सं. 16 से 22 का स्व. भगवानाराम के वारिसान के अनुसार खसरा नम्बर 120 रकबा 8 बीघा रोही दूधवा खारा में कब्जा काश्त, खातेदारी में है। उक्त खसरा में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी सं. 15 से 22 के गलत इन्द्राज होने से राजस्व रिकार्ड में हटाया जाना आवश्यक है। मात्र 8 बीघा कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 16 से 22 स्व. भगवानाराम के वारिसान के अनुसार हिस्सा है। अतः जवाबदावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण का दावा मांगी गई अनुतोष क, ख, ग जवाबदावा की मदात के अस्वीकार तथ्यों को व मुताबिक राजीनामा दिनांक 28.06.2019 के अनुसार दावा डिक्री कर दिया जावे तो प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति एतराज नहीं होगा एवं दोनों पक्षकारान को इन्साफ मिलेगा।

इसी तारीख पेशी पर वादी सं. 1 से 3 एवं प्रतिवादी सं. 1 से 3, 5 से 10, 12 से 14 व 16 से 22 की ओर से लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आपसी सहमति से राजीनामा करते हुए न्यायालय में उपस्थित होकर राजीनामा मय एनेक्जर–ए पेश किया।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत राजीनामा अन्तर्गत आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में अंकित किया कि हम वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त पैतृक कृषि भूमि बाबत विभाजन का समझौता निम्न प्रकार से किया गया है:–

1.	यह कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य एक दावा श्रीमान् जी के न्यायालय में लम्बित है दावा की मद सं. 2 में अंकित खसरान में पक्षकारान वादी व प्रतिवादीगण का मौखिक विभाजन पूर्वजों के जीवनकाल से किस्म कृषि भूमि को मध्यनजर रखते हुए, माफिक कब्जा काश्त पक्षकारान कर लिया था, तद्नुसार ही विभाजन किया जाकर अन्य पक्षकारों के नाम हटाया जाना न्यायोचित हैं। नजरिया नक्शा राजीनामा का भाग समझा जावे। वादी व प्रतिवादीगण अपनी अपनी कृषि भूमि पर निम्न प्रकार से काबिज हैं।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

2.	प्रथम पक्ष वादीगण:–	
I.	वादी सं. 1 व 3	ख.नं. 970 रकबा 22 बीघा 3 विश्वा रोही दूधवा खारा में से आधे हिस्से दक्षिण दिशा में से वादी सं. 1 दक्षिण–पश्चिमी दिशा में 5.11 बीघा व वादी सं. 3 दक्षिणी–पूर्वी दिशा में 5.11 बीघा पर कब्जा काश्त है जो मार्क ए व बी पीले रंग से दर्शित है।
II.	वादी सं. 2	खसरा नं. 122 रकबा 7.04 बीघा रोही दूधवा खारा में वादी सं. 2 सम्पूर्ण रकबा पर कब्जा काश्त है जो मार्क सी पीले रंग से दर्शित है।
3.	द्वितीय पक्ष प्रतिवादीगण:–	
I.	प्रतिवादी सं. 1 व 2	खसरा नं. 116 रकबा 20.16 बीघा रोही सिरसली में से प्रतिवादी सं. 2 व 3 के मध्य 12.10 बीघा प्रतिवादी सं. 1 जो मार्क डी नजरिये नक्शे में लाल रंग से दर्शित है। खसरा नं. 245 रकबा 10.18 बीघा रोही सिरसली सम्पूर्ण व खसरा नं. 116 रकबा 20.16 बीघा रोही सिरसली में से 1.12 बीघा पश्चिमी दिशा में कुल 12.10 बीघा में प्रतिवादी सं. 2 जो नजरिये नक्शे में मार्क ई लाल रंग से दर्शित है।
II.	प्रतिवादी सं. 3	खसरा नं. 100, 101, 117 रकबा कमशः 1.02, 10.00, 0.17 बीघा रोही सिरसली के सम्पूर्ण रकबे व खसरा नं. 116 रकबा 20.16 बीघा रोही सिरसली में से 6.14 बीघा पूर्वी दिशा से कुल रकबा 18.13 बीघा प्रतिवादी सं. 3 जो मार्क एफ नजरिये नक्शे में हरे रंग से दर्शित है।
III.	प्रतिवादी सं. 7 से 13	खसरा नं. 970 रकबा 22.03 बीघा में से 1.18 बीघा उत्तर–पश्चिमी में व ख.नं. 119 रकबा 7.04 बीघा रोही दूधवा खारा सम्पूर्ण कुल रकबा 9.02 बीघा जो प्रतिवादी सं. 9–10, 12 व 13 के बराबर बराबर बहिस्सा है जो नजरिये नक्शे में मार्क एच से आसमानी रंग से दर्शित है एवं खसरा नं. 970 रकबा 22.03 बीघा रोही दूधवा खारा में से उत्तर दिशा में 9.03 बीघा प्रतिवादी सं. 7 जो नजरिये नक्शे में मार्क जी आसमानी रंग से दर्शित है।
IV.	प्रतिवादी सं. 15 से 22	खसरा नं. 120 रकबा 8.00 बीघा रोही दूधवा खारा सम्पूर्ण रकबे में प्रतिवादी सं. 15 से 22 स्व. भगवानाराम के वारिसान के हिस्सेनुसार जो नजरिये नक्शे में सफेद रंग से दर्शित है। अन्य खसरों में नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाना न्यायोचित है।
4.	यह कि दोनों पक्षकारान उपरोक्त लिखित पारिवारिक समझौता बंटवारा दिनांक 28.06.2019 को आपसी बैठकर आपसी सहमति से लोक अदालत की भावना से राजी खुशी से राजीनामा अनुसार काश्तकार घोषित किया जाकर दावा डिकी किया जावे ताकि दोनों पक्षकारान को न्याय मिल सके। वादीगण व प्रतिवादी सं. 3, 7 व 9 से 13 की मौके पर स्थित कब्जा काश्त में कृषि भूमि कम होने पर अधिकार सुरक्षित रखेंगे।	

उपखण्ड अधिकारी

अतः राजीनामा वादी व प्रतिवादीगण ने पारिवारिक समझौता बंटवारे विभाजन दस्तावेज बिना नशे पते, दवाब, राजीखुशी बिना नशे पते, सोच समझ कर, पढ़ सुनकर, न्यायालय के समक्ष हस्ताक्षर कर दिये हैं। राजीनामा अनुसार दावा डिकी किया जावे ताकि पक्षकारान को इन्साफ मिल सके। सनद् रहे वक्त जरूरत काम आवे।

समस्त पक्षकारान ने अपने पहचान दस्तावेज पेश किये एवं उनकी पहचान उनके अधिवक्ताओं द्वारा की गई। समस्त उपस्थित पक्षकारान ने निवेदन किया कि राजीनामा तस्दीक किया जाकर राजीनामा में अंकितानुसार व संलग्न एनेक्जर 'ए' में दर्शितानुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जावे। प्रस्तुत राजीनामा पक्षकारान को पढ़कर सुनाया गया। पक्षकारान ने राजीनामा एवं एनेक्जर 'ए' में अंकित व दर्शित तथ्यों का सही होना स्वीकार किया जिस पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

तत्पश्चात् वकील वादीगण ने संशोधित टाईटल व सम्मन तलवाना पेश किये। संशोधित टाईटल पत्रावली के अवर में शामिल किया जाकर प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/5 को सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी सं. 15/3 के विधिवत तामील के बावजूद अनुपस्थित रहने पर उसके खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादी सं. 15/1, 15/2, 15/4, 15/5 एवं 24 से 27 की ओर से श्री ताहिर खान एडवोकेट ने वकालतनामा एवं प्रतिवादी सं. 15/1, 15/2, 15/4, 15/5 की ओर से इकबालदावा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 15/1, 15/2, 15/4, 15/5 की ओर से पेश इकबालदावा में वही तथ्य अंकित किये गये जो प्रतिवादी सं. 1 से 13 व 16 ता 22 द्वारा अपने जवाबदावा में अंकित किये गये हैं जिसमें मुख्य तथ्य अंकित किया गया है कि प्रतिवादी सं. 15 अपने पिता के जीवनकाल में बचपन में ही अपने मामा मालाराम निवासी कालियासर के गोद चला गया था जिससे उसका वादगत कृषि भूमि में कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। उक्त कृषि भूमि में स्व. भगवानाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 16 से 22 का हिस्सा मात्र 8.00 बीघा है शेष हिस्से में से इनका नाम हटाया जाना आवश्यक है। हम प्रतिवादी सं. 15 रूघाराम के कायम मुकाम हैं हम प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/5 का नाम उक्त खसरान में से हटाया जाता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। प्रतिवादी सं. 14 व 24 से 27 की ओर से इकबालिया जवाबदावा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रतिवादीगण ने भी वही तथ्य अंकित किये हैं जो अन्य प्रतिवादीगण द्वारा पेश जवाबों में अंकित किये गये हैं। प्रतिवादी सं. 14 व 24 से 27 को भी राजीनामा के अनुसार दावा डिकी किये जाने में कोई आपत्ति एतराज नहीं है।

वादीगण की ओर से प्रस्तुत दावा में समस्त प्रतिवादीगण की ओर से इकबालिया जवाबदावा एवं राजीनामा पेश करने से तनकीयात कायम करने की कोई आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली साक्ष्यवादी में नियत की गई। साक्ष्यवादी में गवाह सुलतानाराम, पन्नालाल व हरिसिंह ने उपस्थित होकर साक्ष्य शपथपत्र पेश किये। गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये। वकील प्रतिवादी द्वारा जिरह नहीं करने से जिरह शून्य रही। अन्य साक्ष्य पेश नहीं करने से साक्ष्यवादी बन्द की गई। वकील प्रतिवादी द्वारा, साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते, का कथन करने पर साक्ष्य प्रतिवादी बन्द की जाकर पत्रावली बहस में नियत की गई।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

दावा वादीगण पर वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील उभयपक्ष ने दावा पर अपनी बहस में जाहिर किया कि दावा में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 22 व 24 से 27 की ओर से इकबालदावा पेश हुआ है जिसके अनुसार प्रतिवादीगण को दावा पर कोई आपत्ति नहीं है। पक्षकारान की ओर से आपसी सहमति से बाहमी राजीनामा मय एनेक्जर ए नजरिया नक्शा पेश होकर न्यायालय द्वारा तस्दीक हो चुका है। अब किसी भी पक्षकार को दावा स्वीकार करने बाबत कोई आपत्ति नहीं है। अतः पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत बाहमी राजीनामा, दावा में अंकित उपमद 'क' से 'ग' एवं पेश नजरी नक्शे के अनुसार दावा स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी फरमाया जावे एवं इसी अनुरूप वादीगण एवं प्रतिवादीगण की खातेदारी घोषित की जाकर खाते व लगान अलग अलग कायम करने के आदेश फरमाये जावें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर पत्रावली, पेश इकबालिया जवाबदावा, पत्रावली पर पेश दस्तावेजात् एवं पक्षकारान द्वारा पेश राजीनामा मय एनेक्जर ए नजरी नक्शा का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया जाकर बहस के तथ्यों पर मनन किया गया। वादीगण की ओर से दावा के समर्थन में प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 पेश किये गये हैं। प्रदर्श–1 से प्रदर्श–3 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071, 2071 से 2074, 2071 से 2074 ख.नं. 970 रोही ग्राम दूधवा खारा के अवलोकन से जाहिर है कि वादगत ख.नं. 970 की कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 14 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की रही है जिसमें से प्रदर्श–3 में अंकितानुसार प्रतिवादी सं. 14 अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी सं. 11 लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रदर्श–4 नकल नक्शा ख. नं. 970 है। प्रदर्श–5 से प्रदर्श–7 जमाबन्दी सम्वत् 2068 से 2071, 2071 से 2074, 2071 से 2074 ख.नं. 119, 120, 122 रोही ग्राम दूधवा खारा के अवलोकन से जाहिर होता है कि उक्त कृषि भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 से 17 व प्रतिवादी सं. 18 से 22 के पिता बचनाराम की संयुक्त खातेदारी की रही है जिसमें प्रदर्श–7 में अंकितानुसार प्रतिवादी सं. 14 अपना हिस्सा वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है तथा प्रतिवादी सं. 11 लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 के नाम दर्ज हो चुकी है। उक्त भूमि में प्रतिवादी सं. 15 का स्वर्गवास होने से उसके वारिसान प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/5 के नाम दर्ज हो चुकी है। साथ ही प्रदर्श–5 से प्रदर्श–7 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी सं. 17 रामकुमार का हिस्सा 1/8 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवा खारा के रहन दर्ज है। प्रदर्श–8 नकल नक्शा ख.नं. 119, 120, 122 है। प्रदर्श–9 जमाबन्दी सम्वत् 2071 से 2074 ख.नं. 1200/972, 121, 390, 392, 48 रोही ग्राम दूधवा खारा है जो दावा में वर्णितानुसार जैसाराम के वारिसान के नाम पृथक खातेदारी में दर्ज हो चुकी है। प्रदर्श–10 व प्रदर्श–11 जमाबन्दी सम्वत् 2070 से 2073, 2070 से 2073 ख.नं. 100, 101, 116, 117, 245 रोही ग्राम सिरसली है के अवलोकन से जाहिर होता है कि यह कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 14 व 24 से 27 की संयुक्त खातेदारी की रही है जिसमें से प्रदर्श–11 में अंकितानुसार प्रतिवादी सं. 11 लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 के नाम दर्ज हो चुकी है। प्रदर्श–12 नकल नक्शा ख.नं. 100, 101, 116, 117, 245 है। प्रतिवादीगण की ओर से पेश इकबालदावों से यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमियों में प्रतिवादी सं. 4 से 6 जो जगुराम की पुत्रियां हैं, ने अपना हक हिस्सा अपने सगे भाई दयाचन्द के पक्ष में परित्याग कर दिया है।

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

प्रतिवादी सं. 8 अपने पिता के जीवनकाल में ही अपने मामा मालाराम निवासी श्यामपुरा के गोद चला गया है जिससे उक्त कृषि भूमियों में उसका कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहा है। प्रतिवादी सं. 14 जो वादीगण की सगी बहिन है, ने अपना हक हिस्सा अपने सगे भाई वादीगण के पक्ष में परित्याग किया जाना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/5 के पिता स्व. रूघाराम बचपन में ही मूंगाराम निवासी कालियासर के गोद चले गये थे जिससे उनके पिता का कोई हक हिस्सा शेष नहीं रहने से उक्त प्रतिवादीगण भी इस भूमि में अपना हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते है। प्रतिवादी सं. 24 से 27 जो प्रतिवादी सं. 9 से 13 के पिता व पति स्व. नन्दराम एवं प्रतिवादी सं. 7, 8 की सगी बहिनें है, ने अपना हिस्सा अपने भाईयों के पक्ष में छोड़ा जाना स्वीकार किया है जिससे उनका हिस्सा प्रतिवादी सं. 7 व 9, 10, 12, 13 के पक्ष में जाना है। साथ ही प्रतिवादी सं. 16 से 22 ने अपने इकबालदावा से ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 119, 120, 122 कुल रकबा 22.08 में से ख.नं. 120 तादादी 8.00 बीघा पर ही अपना हक जताया है। शेष कृषि भूमि जो ग्राम सिरसली में स्थित है, में उनके नाम गलत रूप से दर्ज चले आ रहे हैं। इसलिए इस कृषि भूमि में वे कोई हक हिस्सा प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। यदि वादगत कृषि भूमियों में से ख.नं. 120 को छोड़कर शेष भूमि से उनका नाम हटाया जाता है तो उन्हें कोई आपत्ति एतराज नहीं है। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में सभी पक्षकारों ने पारिवारिक मौखिक विभाजन के अनुसार लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर वादगत कृषि भूमियों के मौके पर अपने अपने हिस्से व कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी घोषित करवा कर खाता विभाजन करने का निवेदन किया है तथा वादगत कृषि भूमियों के राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी सं. 4 से 6, 8, 11, 14, 15/1 से 15/5 एवं 24 से 27 के नाम हटाये जाने का अनुतोष चाहा है। उक्त राजीनामा न्यायालय द्वारा तस्दीक किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि वादगत कृषि भूमियां वादीगण एवं प्रतिवादीगण की पैतृक संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमियां हैं जिनका पारिवारिक मौखिक विभाजन पक्षकारों ने मौके पर कर रखा है परन्तु विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। साथ की कुछ खातेदारों का नाम गलत रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज चला आ रहा है जिनके नाम हटाये जाकर उनके हिस्से को उनके भाईयों के पक्ष में दर्ज करने की घोषणा की जानी है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत इस दावा में समस्त पक्षकारान ने दावा में अंकित तथ्यों को स्वीकार करते हुए अपना अपना इकबालदावा पेश किया है तथा जिन बिन्दुओं पर उनकी असहमति रही है उसको आपसी सहमति से राजीनामा करते हुए लिखित राजीनामा एवं वादगत कृषि भूमि के मौके पर अपने अपने कब्जा काश्त को रंगों से दर्शित करते हुए एनेक्जर-ए पेश किया है एवं उक्त राजीनामा व एनेक्जर में अंकित व दर्शितानुसार दावा का निर्णय कर अन्तिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया है। इसमें सभी पक्षकारों की सहमति है। जिन खातेदारों के नाम वादगत कृषि भूमि से हटाये जाने हैं उन्हें भी इस पर कोई आपत्ति नहीं है जिनमें से वादीगण की बहिन प्रतिवादी सं. 14, प्रतिवादी सं. 7 का भाई व बहिनें जो प्रतिवादी सं. 8 व 24 से 27 एवं प्रतिवादी सं. 16, 17 के सगे भाई रूघाराम के वारिसान प्रतिवादी सं. 15/1 से 15/5 हैं। उक्त प्रतिवादीगण ने स्वेच्छा से अपने अपने हिस्सों की भूमि का त्याग अपने परिजनों को किया जाना स्वीकार किया है। वादगत कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा का बैंक के रहन दर्ज है जिसके सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि दावा में

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

पक्षकारों द्वारा बैंक के हितों के खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। इसलिए दावा स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री करने के बाद भी प्रतिवादी सं. 17 का हिस्सा बैंक के रहन ही दर्ज रहना है जिससे बैंक के हितों को कोई नुकसान होने की सम्भावना परिलक्षित नहीं होती है। इस प्रकार दावा में सभी पक्षकारों की सहमति होने से लोक अदालत की भावना को मध्यनजर रखते हुए पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा एवं एनेक्जर–ए में अंकित व दर्शितानुसार दावा वादीगण स्वीकार किया जाना यह न्यायालय न्यायोचित मानता है। दावा वादीगण स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा मय एनेक्जर–ए के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 970 तादादी 5.6023 हैक्टेयर में वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि में अंकित प्रतिवादी सं. 4 से 6 व 8 के नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 119, 120, 122 तादादी कमशः 1.8211, 2.0234, 1.8211 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 4 से 6, 8, 15 के नाम हटाये जाकर उक्त कृषि भूमि में से ख.नं. 119 व 122 में वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हि. प्रतिवादी सं. प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 16 से 22 को ख.नं. 120 सम्पूर्ण में ब.हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम सिरसली के ख.नं. 100, 101, 116, 117, 245 तादादी कमशः 0.2782, 2.5293, 5.2609, 0.2150, 2.7569 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 4 से 6, 8, 14 व 24 से 27 के नाम हटाये जाकर वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं एनेक्जर–ए के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार खाते व लगान अलग अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	रोही ग्राम	खसरा नम्बर	तादादी (है० में)	किस्म भूमि
1.	सागरराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	1.4037	बारानी
2.	बृजलाल पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	1.4037	बारानी
3.	सुल्तानराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	122 सम्पूर्ण	1.8211	बारानी
4.	रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	116 मी.	3.1616	बारानी

उपखण्ड अधिकारी

5.	जीसुख पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	116 मी. 245	0.4047 2.7569	बारानी बारानी
			किता–2	3.1616	बारानी
7.	दयाचन्द पुत्र जगुराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	100 101 116 मी. 117	0.2782 2.5293 1.6946 0.2150	बारानी बारानी बारानी बारानी
		योग	किता–4	4.7171	बारानी
8.	रामचन्द्र पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	2.3143	बारानी
9.	बनवारी उर्फ शिशपाल, श्रीचन्द पि. नन्दराम, रेशमा पुत्री नन्दराम, भतेरी पत्नी नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा ब.हि.ब. खातेदार	दूधवा खारा	119 970 मी.	1.8211 0.4806	बारानी बारानी
		योग	किता–2	2.3017	बारानी
10.	द्वारकाप्रसाद पुत्र भगवानाराम 1/3 हिस्सा, रामकुमार पुत्र भगवानाराम राहिन 1/3 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवा खारा मूर्तहीन, किस्तुरी पत्नी बचनाराम, दीपचन्द, भंवरसिंह, विमला, सुरजी पुत्र–पुत्रियां बचनाराम ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	120	2.0234	बारानी

दावा में प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं एनेक्जर–ए निर्णय व अन्तिम डिक्री के भाग माने जावेंगे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 26.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, चूरू

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
(CIVIL PROCEDURE CODE, APPENDIX 'D'-1)
अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम चूरू

इजलास : सुश्री श्वेता कोचर आर०ए०एस०

1. सागर पुत्र हीराराम जाति मेघवाल
2. सुल्तान पुत्र हीराराम जाति मेघवाल
3. बृजलाल पुत्र हीराराम जाति मेघवाल

} निवासीगण दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–वादीगण–

<u>बनाम</u>

1. रामेश्वर
2. जिसुख

} पुत्रगण सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

3. दयाचन्द
4. सुगनी
5. सन्तोष
6. सजना

} पुत्र–पुत्रियां जगुराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

7. रामचन्द
8. ओमप्रकाश

} पुत्रगण पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

9. बनवारी उर्फ शिशपाल
10. श्रीचन्द
11. (डिलीट) हरिसिंह

} पुत्रगण नन्दराम पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

12. रेशमा पुत्री नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
13. मतेरी पत्नी नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह० व जिला चूरू (राज.)
14. मीरा पुत्री हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)
15. स्व. रूघाराम पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तह. व जिला चूरू

15/1 रामनिवास पुत्र रूघाराम दत्तकपुत्र लिखमाराम जाति मेघवाल हाल निवासी श्यामपुरा तहसील व जिला चूरू (राज.)

15/2 महावीर पुत्र रूघाराम
15/3 सहलाराम पुत्र रूघाराम
15/4 सार्दुलराम पुत्र रूघाराम
15/5 भागी पत्नी स्व. रूघाराम

} जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

16. द्वारकाप्रसाद
17. रामकुमार

} पुत्र भगवानाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

18. दीपचन्द पुत्र
19. भंवरसिंह पुत्र
20. किस्तुरी पत्नी
21. विमला पुत्री
22. सुरजी पुत्री

} पुत्र–पुत्रियां बचनाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

23. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, चूरू (राज.)

24. बनारसी
25. रतना

} पुत्रियां पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

उपखण्ड अधिकारी

26. सन्तोष }
27. शारदा } पुत्रियां पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा तहसील व जिला चूरू (राज.)

–प्रतिवादीगण–

दावा अन्तर्गत धारा 88, 92ए, 53 आर.टी.ए.
मुकदमा नं. 31/2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू हमारे हाजरी श्री रामप्रसाद एडवोकेट वादीगण मिनजानिब मुदईब व श्री ताहिर खान एडवोकेट प्रतिवादीगण मिनजानिब मुदाएलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि:–

वादीगण एवं प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा मय एनेक्जर–ए के आधार पर दावा वादीगण स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है कि वादगत कृषि भूमि ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 970 तादादी 5.6023 हैक्टेयर में वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त भूमि में अंकित प्रतिवादी सं. 4 से 6 व 8 के नाम हटाये जाने का आदेश दिया जाता है। ग्राम दूधवा खारा के ख.नं. 119, 120, 122 तादादी क्रमशः 1.8211, 2.0234, 1.8211 हैक्टैयर में से प्रतिवादी सं. 4 से 6, 8, 15 के नाम हटाये जाकर उक्त कृषि भूमि में से ख.नं. 119 व 122 में वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हि. प्रतिवादी सं. प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी सं. 16 से 22 को ख.नं. 120 सम्पूर्ण में ब.हिस्सा बराबर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं ग्राम सिरसली के ख.नं. 100, 101, 116, 117, 245 तादादी क्रमशः 0.2782, 2.5293, 5.2609, 0.2150, 2.7569 हैक्टेयर में से प्रतिवादी सं. 4 से 6, 8, 14 व 24 से 27 के नाम हटाये जाकर वादीगण को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 व 2 को ब.हि.ब. 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 3 को 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 7 को 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 9, 10, 12, 13 को ब.हि.ब. 1/8 हिस्सा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं एनेक्जर–ए के अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण का खाता विभाजन किया जाकर निम्नानुसार खाते व लगान अलग अलग कायम करने का आदेश दिया जाता है:–

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय विवरण	रोही ग्राम	खसरा नम्बर	तादादी (है० में)	किस्म भूमि
1.	सागरराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	1.4037	बारानी
2.	बृजलाल पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	1.4037	बारानी
3.	सुल्तानराम पुत्र हीराराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	122 सम्पूर्ण	1.8211	बारानी
4.	रामेश्वर पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	116 मी.	3.1616	बारानी

उपखण्ड अधिकारी
चूरू

5.	जीसुख पुत्र सुरजाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	116 मी. 245	0.4047 2.7569	बारानी बारानी
			किता–2	3.1616	बारानी
7.	दयाचन्द पुत्र जगुराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	सिरसली	100 101 116 मी. 117	0.2782 2.5293 1.6946 0.2150	बारानी बारानी बारानी बारानी
		योग	किता–4	4.7171	बारानी
8.	रामचन्द्र पुत्र पूर्णाराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	970 मी.	2.3143	बारानी
9.	बनवारी उर्फ शिशपाल, श्रीचन्द पि. नन्दराम, रेशमा पुत्री नन्दराम, भतेरी पत्नी नन्दराम जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा ब.हि.ब. खातेदार	दूधवा खारा	119 970 मी.	1.8211 0.4806	बारानी बारानी
		योग	किता–2	2.3017	बारानी
10.	द्वारकाप्रसाद पुत्र भगवानाराम 1/3 हिस्सा, रामकुमार पुत्र भगवानाराम राहिन 1/3 हिस्सा पंजाब नेशनल बैंक शाखा दूधवा खारा मूर्तहीन, किस्तुरी पत्नी बचनाराम, दीपचन्द, भंवरसिंह, विमला, सुरजी पुत्र–पुत्रियां बचनाराम ब.हि.ब. 1/3 हिस्सा जाति मेघवाल निवासी दूधवा खारा खातेदार	दूधवा खारा	120	2.0234	बारानी

दावा में प्रस्तुत तस्दीकशुदा राजीनामा एवं एनेक्जर–ए निर्णय व अन्तिम डिक्री के भाग माने जावेंगे। तहसीलदार, चूरू को निर्देशित किया जाता है कि डिक्री के अनुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 26 माह अगस्त सन् 2019 को जारी की गई।

(श्वेता कोचर)
उपखण्ड अधिकारी, चूरू